बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड
Bihar Board Of Open Schooling & Examination
शिक्षा विभाग, बिहार का स्वायत्त संस्थान
An Autonomous Organisation of Department of Education, Govt of Bihar
चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर, न्याय नगर, मीठापुर, पटना –800001
Chanakya National Law University Campus, Nyaya Nagar, Mithapur, Patna-800001
Website: www.bbose.org | Phone No: 0612-2355563
Email ID:info@bbose.org | Fax No : 0612-2355662

पत्रांक– दिनांक – जून, 2018

प्रेषक,

श्री गिरिवर दयाल सिंह, भा0प्र0से0
अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
– सह – मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– **बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना को बिहार सरकार के विद्यालयों को अकादमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु शिक्षण केन्द्र घोषित करने हेतु अधिकृत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 44, दिनांक – 18.07.2011, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक – 49 BBOSE, दिनांक – 25.07.2011 तथा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के आदेश सं0– 383/नि0प्रा0, दिनांक – 22.07.2011 एवं बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के ज्ञापांक–281, दिनांक – 21.08.2017 की छायाप्रति संलग्न कर कहना है कि जिस विद्यालय को बोर्ड शिक्षण केन्द्र घोषित करेगा उसके प्रधानाध्यापक इस शिक्षण केन्द्र के कोऑडिनेटर भी होंगे और बोर्ड द्वारा दिये गये निदेशों को कड़ाई से पालन करेंगे।

ऐसा ज्ञात हुआ है कि कुछ विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अपने स्थान पर किसी और शिक्षक को समन्वयक नियुक्त कर देते हैं, जो विभागीय निदेश के सर्वथा प्रतिकूल है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि अपने जिला में कार्यरत सभी अध्ययन केन्द्रों (शिक्षण केन्द्रों) की जाँच कर अपने स्तर से संतुष्ट हो लें कि उनके जिला में कोई भी ऐसा अध्ययन केन्द्र नहीं है जिसके समन्वयक प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त कोई और शिक्षक कोऑडिनेटर (समन्वयक) का कार्य नहीं कर रहे हों।

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के द्वारा पूर्व में भी सभी विवरणिकाओं (Prospectus) के माध्यम से एवं ज्ञापांक–281, दिनांक – 21.08.2017 के द्वारा यह

स्पष्ट किया गया है कि प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक (बोर्ड के अध्ययन केन्द्रों के समन्वयक) उन्हें विद्यालय के किसी वरीय शिक्षक को उप–समन्वयक नामित करेंगे।

उक्त के आलोक में सूचारू रूप से अध्ययन केन्द्रों के द्वारा कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं, इस संबंध में एक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(श्री गिरिवर दयाल सिंह), भा0प्र0से0
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

ज्ञापांकः–................................./ पटना, दिनांक.......................................

प्रतिलिपिः–सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, बिहार/सभी उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

(श्री गिरिवर दयाल सिंह), भा0प्र0से0
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

ज्ञापांकः–................................./ पटना, दिनांक.......................................

प्रतिलिपिः– बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के सभी अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों एवं उप समन्वयकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

(श्री गिरिवर दयाल सिंह), भा0प्र0से0
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

ज्ञापांकः–BBOSE/232......./ पटना, दिनांक 12.6.18......................

प्रतिलिपिः– सर्वर प्रभारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना को इस निदेश के साथ प्रेषित कि इस पत्र को बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

12/6/18

(श्री गिरिवर दयाल सिंह), भा0प्र0से0
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

Firoz/Desktop/Letter to Ceo